अगस्त, 2018 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

राष्ट्रपति महोदय ने निम्नलिखित नियुक्तियां/परिवर्तन किए:

(i) बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री लालजी टंडन,

(ii) हरियाणा के राज्यपाल के रूप में श्री सत्यदेव नारायण आर्या।

(iii) उत्तराखण्ड के राज्यपाल के रूप में श्रीमती बेबी रानी मोर्या।

(iv) बिहार के राज्यपाल के श्री सत्यपाल मलिक को स्थानान्तरित किया गया तथा जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।

(v) मेघालय के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद को स्थानान्तरित किया गया और सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।

(vi) त्रिपुरा के राज्यपाल श्री तथागत रॉय को स्थानान्तरित किया गया तथा मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।

(vii) हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी को स्थानान्तरित किया गया तथा त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।

2. दिनांक 02.08.2018 को, केन्द्रीय गृह सचिव ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनसे राज्यों में वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य की छमाही स्थिति साझा की।

3. दिनांक 08.08.2018 को, गृह सचिव ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनसे केरल-कर्नाटक-तमिलनाडु (केकेटी) राज्यों में वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य की छमाही स्थिति साझा की।

4. मणिपर के कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (केएनओ) तथा यूनाटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) के साथ अभियान निलंबन करारों को दिनांक 31.08.2019 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

5. ब्रू करार के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्रू प्रत्यावर्तन पर मॉनीटरिंग समिति की पहली बैठक त्रिपुरा के दमचेरा में दिनांक 10.08.2018 को विशेष सचिव (आई एस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

6. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करने के लिए लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 पुर:स्थापित किया गया।

7. 60 परियोजनाओं वाली अम्ब्रेला स्कीम सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (बीआईएम) को 8606 करोड़ रुपए के परिव्यय से अनुमोदित किया गया है।

8. उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति (एचएलईसी) की शक्तियों को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने तथा तकनीकी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समिति के अधिदेश का विस्तार अनुमोदित किया गया।

9. स्वतंत्रता दिवस, 2018 के अवसर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों को शौर्य, विशिष्ट सेवा तथा उल्लेखनीय सेवा के लिए दो राष्ट्रपति पुलिस पदक, 177 पुलिस पदक, 88 राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 675 पुलिस पदक प्रदान किए गए।

10. स्वतंत्रता दिवस, 2018 के अवसर पर अग्निशमन सेवा, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा कार्मिकों के लिए विभिन्न शौर्य, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पुरस्कारों की घोषणा की गई।

11. कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे, कांवरिया तीर्थ यात्रा, वार्षिक बोनालू उत्सव, बकरीद त्यौहार तथा स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए सुरक्षा इंतजाम हेतु विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 91 कंपनियां तैनात की गईं। स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2018 के लिए 822 कमांडो (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद) उपलब्ध कराए गए थे।

12. भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर, मेघालय में उप चुनाव के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 08 कंपनियां तैनात की गई थीं।

13. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के माननीय मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के आगामी दौरे तथा भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग के बारे में प्रस्तावित करार पर चर्चा करने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की सरकार का प्रतिनिधिमंडल दिनांक 28.08.2018 को भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मिला।

14. भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इस माह के दौरान, छह राज्य विधेयकों अर्थात् छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016, औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक, 2017, छत्तीसगढ़ दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 2017, कर्नाटक परोपकारी तथा चिकित्सा व्यावसायिक (आपातकाल के दौरान संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 2016, मोटर वाहन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 और तेलंगाना मद्य तस्करों, डकैतों, औषध अपराधियों, गुंडों, अनैतिक यातायात अपराधियों तथा भूमि हड़पने वाले व्यक्तियों की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 को सहमति प्रदान की।

15. दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 को भी माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 11.08.2018 को सहमति प्रदान की गई।

16. ई-वीजा, एलएसआई तथा बायोमेट्रिक नामांकन सॉफ्टवेयर को 8 भारतीय मिशनों अर्थात कनाडा (ओटावा), रूस (सेंटपीटर्सबर्ग), रूस (व्लादिवोस्तोक), जर्मनी (म्युनिख), बेल्जियम (ब्रूसेल्स), नार्वे (ओस्लो), हंगरी (बुडापेस्ट) और क्रोएशिया (जागरेब) में परिचालित किया गया है जिससे ऐसे मिशनों की संख्या विदेश में कुल 178 मिशनों में से 152 हो गई है।

17. मिजोरम राज्य के जोखावतार भूमि जांच चौकी को प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में घोषित किए जाने और पुलिस अधीक्षक, चाम्पई जिला, मिजोरम की नियुक्ति ''नागरिक प्राधिकारी'' के रूप में किए जाने के लिए दिनांक 13.08.2018 को अधिसूचना जारी की गई।

18. दिनांक 02.08.2018 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया कि नागरिक अधिनियम, 1955 की धारा 7(क) के अंतर्गत भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित नए एम्स में शिक्षण संकाय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

19. सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर को बिहार राज्य को छोड़कर पूरे देश में कुल 14747 पुलिस थानों में से 14677 अर्थात 99.52 प्रतिशत पुलिस थानों में लगाया गया है।

20. 3.89 करोड़ रिकॉर्डों का डाटा डिजिटीकरण अर्थात कुल लक्ष्य का 96.76 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। बिहार और राजस्थान राज्य में सिस्टम इंटिग्रेटर के चयन के बाद डिजिटीकरण आरंभ करेंगे।

21. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने राज्य नागरिक केन्द्रिक पोर्टल शुरू कर लिए हैं।

22. आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में 16 अभियुक्तों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

23. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्य कार्यक्रम की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न नागरिक कार्यकलाप कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 5.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

* * * * *